भक्ति विकास स्वामी द्वारा प्रथम (हरिनाम) दीक्षा के नियम

दीक्षा शिष्य में गुरु के विश्वास का प्रतीक है। दीक्षा रूपी महान वरदान की इच्छा रखने वाले भक्तों को इस विश्वास के प्रतिफल के रूप में अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करना होगा। दीक्षार्थी भक्त को योग्यता के लिए कम से कम एक वर्ष तक:

1. चार नियमों का सख्ती से पालन करना होगा
2. रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करना होगा। जप की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। केवल बड़बड़ाना या महामंत्र से मिलती-जुलती आवाज़ निकालना स्वीकार्य नहीं है।
3. श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं और आंदोलन के प्रति निष्ठावान रहना होगा और आजीवन भक्ति का अच्छे से पालन करना होगा।
4. यह विश्वास होना कि भक्ति विकास स्वामी गुरु परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं और वे दीक्षार्थी को भगवत-धाम के पथ पर मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं। यह जान लें कि कई लोग उन्हें अत्यंत कट्टरपंथी और रूढ़िवादी मानते हैं। दीक्षार्थी को भक्ति विकास स्वामी द्वारा तलाक, स्त्रियों की तथाकथित आजादी,और इसी तरह के विवादास्पद विषयों पर उनके सख्त विरोध को स्वीकार करना होगा। दीक्षार्थी को उनसे श्रवण करने, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए, मार्गदर्शन लेने, शिक्षा लेने, संभवतः उनकी डांट खाने के लिए तत्पर रहना होगा।
5. इस्कॉन प्राधिकारियों के प्रति सहयोग की भावना रखना।
6. यदि दीक्षार्थी भक्त मंदिर से बहुत दूर नहीं रहता तो मंदिर और नाम-हट्ट कार्यक्रमों में भाग लेना। दूर रहने की स्थिति में वह घर पर रह कर साधना कर सकता है। जो गृहस्थ भक्त रोज़ प्रवचन नहीं सुन सकते, तो उन्हें सप्ताह में कम से कम एक बार नियमित रूप से मंदिर के प्रवचन, मंदिर के बाहर होने वाले कार्यक्रम या उस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेना होगा तथा रोज़ श्रील प्रभुपाद या इस्कॉन के अन्य भक्तों के प्रवचन सुनने होंगें। या फिर उन्हें रोज़ नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी होगीं।
7. वैष्णवों के प्रति विनम्र सेवा का भाव रखना चाहिए, उनसे सौहार्द पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, तथा दोषानवेशन की प्रवृति से बचना चाहिए।
8. दीक्षार्थी को कृष्ण भावनामृत सिद्धांत की प्रारंभिक समझ होनी चाहिए। यदि वे पढ़े-लिखे हैं, तो उन्हें कम से कम कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, भगवत गीता यथा रूप,

आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, भक्ति रसामृत सिंधु, और श्रीमद भागवतम के पहले दो स्कन्द पढ़ने चाहिए। (ध्यान दें : इन सभी पुस्तकों का अध्ययन दीक्षा से एक महीना पहले पूरा हो जाना चाहिए।)

9. पूरी निष्ठा से केवल कृष्ण प्रसाद ही खाना चाहिए और कर्मी भोजन नहीं करना चाहिए।
10. टीवी नहीं देखना, पेशेवर भजन नहीं सुनना, मायावादियों या निष्ठाहीन भक्तों की बातें न सुनना और उनकी पुस्तकें न पढ़ना, भौतिक खेलों में भाग न लेना और सिनेमा न देखना।
11. यदि भक्त मंदिर में रह रहे हैं, तो रोज़ सुबह चार बजे उठना। जिन गृहस्थ भक्तों को अपने व्यवसाय के कारण देर रात तक जागना पड़ता है, उन्हें भी सुबह अधिक देर से नहीं उठना चाहिए। जो नियमित रूप से सुबह पांच बजे के बाद उठते हैं, उन्हें अपने रहन-सहन में बदलाव लाना चाहिए।
12. मंदिर जाते समय या भक्तों के कार्यक्रमों में भाग लेते समय गृहस्थ भक्त को यथा संभव वैष्णव परिधान पहनना चाहिए। पुरुषों को धोती और स्त्रियों को साड़ी पहननी चाहिए। सबको तिलक धारण करना चाहिए। पुरषों को मूँछ और दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। यदि विधवा नहीं है, तो स्त्रियों को चोटी बनानी चाहिए और बाल नहीं काटने चाहिए।
13. यदि भक्त मंदिर समुदाय में रहता है और अविवाहित है, तो उसे आर्थिक वेतन नहीं लेना चाहिए।
14. इस्कॉन कानून के अन्य नियमों का पालन करना।

गृहस्थ भक्तों को कम से कम एक अधिकृत वरिष्ठ वैष्णव के संरक्षण में रहना चाहिए जो उसकी प्रगति पर नज़र रखे।

जिन गृहस्थ भक्तों के घर का वातावरण भक्ति के अनुकूल नहीं है, तो उन्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या वे आजीवन इन व्रतों का पालन कर पाएंगे? कठिन पारिवारिक स्थिति के कुछ उदहारण इस प्रकार हैं: सारा दिन और देर रात तक ऊँची आवाज़ में टीवी का चलना, परिवार वालों का कृष्ण भावनामृत का विरोध करना, पति या पत्नी में वैवाहिक जीवन के कृष्ण भावनाभावित नियमों के पालन की इच्छा न होना।

एक युवा अविवाहित भक्त जो इस्कॉन आश्रम में ब्रह्मचारी की तरह नहीं रह रहा और न ही उसकी ऐसी कोई इच्छा है, तो उसे पूरा विश्वास होना चाहिए कि वह केवल एक भक्त

लड़की से ही विवाह करेगा और उसके परिजनों द्वारा इसमें हस्तक्षेप की कोई सम्भावना नहीं है। यह नियम पश्चिमी देशों में रहने वाली स्त्रियों पर भी लागू होता है। भारतीय परिवार की युवा अविवाहित स्त्रियों की दीक्षा केवल तभी होनी चाहिए जब उसके माता-पिता आश्वासन दें कि उसका विवाह किसी दीक्षित भक्त से ही करेंगें।

साठ वर्ष से अधिक आयु के भक्तों को कुछ छूट दी जा सकती है, विशेष रुप से यदि वे धार्मिक हिन्दू परिवार से हों जो पूरा जीवन पाप ही में रत नहीं रहे हैं। ऐसे भक्तों के लिए मुख्य कसौटी 16 माला का जप और चार नियमों का पालन है। जहाँ तक संभव जो उन्हें मंदिर के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन उन्हें थोड़ी-बहुत सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। छोटे बच्चों की माताओं को भी कुछ छूट दी जा सकती है। उदाहरण के लिए यह स्वीकार किया जा सकता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वे मंदिर की गतिविधियों में कम भाग ले पायेंगीं।

पहले मानसिक रूप से बीमार रहे भक्तों को भक्ति विकास महाराज से पूछ कर ही दीक्षा की सम्मति देनी चाहिए क्योंकि आमतौर पर ऐसे लोगों के साथ यह समस्या दोबारा हो जाती है।

सभी दीक्षार्थियों को पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् हैं, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं। भक्तों का आंकलन यह जांचने के लिए करना चाहिए कि वे पूरी तरह इन कुसिद्धाँतों से मुक्त हैं:

- आत्मा और भगवान् सामान हैं
- गुरु सर्वथा भगवान् से अभिन्न है
- देहांत के बाद आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है
- पुण्य और भक्ति सामान हैं
- मायावादी और ढोंगी अवतार अबोध साधु हैं, हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए
- समाज कल्याण हरिनाम कीर्तन से श्रेष्ठ है

इन आदर्शों का उद्देश्य किसी को हतोत्साहित करना या डराना नहीं, बल्कि एक गंभीर भक्त को उस स्तर पर उठने के लिए प्रेरित करना है कि उसकी दीक्षा सही अर्थों में ऐसी नींव एक कार्य करे जहाँ से वह गंभीरता से भक्ति में प्रगति कर सके। जो भक्त इस स्तर

पर आने में हिचकते हैं, भक्ति विकास स्वामी को उन्हें दीक्षा देने के लिए नहीं कहना चाहिए।

भक्ति विकास स्वामी द्वारा ब्राह्मण दीक्षा के नियम

भक्तों ने:

1. हरिनाम दीक्षा के बाद ऊपर वर्णित सभी नियमों का कम से कम दो वर्ष पालन किया है।
2. आदर्श साधना और व्यवहार किया है।
3. सेवा का दृढ़ दृष्टिकोण है और समय व्यर्थ गवाने तथा ग्राम्य कथा करने में रूचि नहीं है।
4. भक्ति शास्त्री डिग्री प्राप्त की है। जो भक्त बहुत अधिक बुद्धिजीवी या पढ़े-लिखे नहीं हैं और जिन्होंने भक्ति शास्त्री डिग्री प्राप्त नहीं की है, उनको ब्राह्मण दीक्षा दी जा सकती है, यदि उनमे अत्यंत दृढ़ और निस्वार्थ सेवा भाव है और ऐसा माना जाता है कि वे अर्चा-विग्रह की पूजा, जिसमे अर्चा-विग्रहों के लिए पकवान बनाना भी शामिल है, के लिए एकदम उपयुक्त हैं। ऐसे स्थिति में इन भक्तों को अर्चा-विग्रह विभाग में कम से कम छह महीने ऐसी सेवाएँ करनी चाहियें जिनमे ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे नियम जैसे पैसे लेकर काम न करना आदि भी लागू हैं।
5. नौकरी करके धन नहीं कमाना चाहिए। इस बात का पूरे जीवन पालन करना चाहिए।
6. प्रचार, पढ़ाना और अर्चा-विग्रह की सेवा करनी चाहिए।
7. पहली दीक्षा के साथ उन लोगों को ब्राह्मण दीक्षा भी दी जा सकती है जो स्मार्त उपनयन प्राप्त करने के बाद नियमित रूप से गायत्री का जप कर रहा है। ऐसी दीक्षा उनकी किसी विशेष स्थिति से प्रभावित होकर नहीं बल्कि उन्हें स्मार्त आसक्तियों से बचाने के लिए दी जाती है।
8. ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद उसे पूरा जीवन शिखा रखनी चाहिए। (इसमें कोई अपवाद भक्ति विकास स्वामी की लिखित अनुमति से ही संभव है।)